[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं.- 91/2020- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 14 दिसंबर, 2020

सा.का.नि. ....(अ) – सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 35/2020- केन्द्रीय कर, तारीख 03 अप्रैल, 2020, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड -3, उपखण्ड (i) में संखयांक सा.का.नि. 235 (अ), तारीख 3 अप्रैल, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पहले अनुछेद के खंड (i) के परंतुक में,—

(i) "नवंबर, 2020 के 29वें" अंकों और शब्दों के स्थान पर "मार्च, 2021 के 30वें" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
(ii) "नवंबर, 2020 के 30वें" अंकों और शब्दों के स्थान पर "मार्च, 2021 के 31वें" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

2. इस अधिसूचना को दिसंबर, 2020 के पहले दिन से लागू माना जाएगा।

[फा. सं.-सी.बी.ई.सी.-20/13/07/2019-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 35/2020- केन्द्रीय कर, तारीख 03 अप्रैल 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड -3, उपखण्ड (i) में संखयांक सा.का.नि. 235 (अ), तारीख 03 अप्रैल, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र, असाधारण में संखयांक सा.का.नि. 542 (अ) तारीख 01 सितंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सखंयांक 65/2020-केंद्रीय कर, तारीख 01 सितंबर, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।